समाज कल्याण विभाग
दिल्ली सरकार
विधान सभा तारांकित प्रश्न संख्याः 35
प्रश्नकर्ताः श्री रघुविन्दर शौकीन
दिनॉकः 30.07.2021

क्या माननीय समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगें कि:–

	प्रश्न	उत्तर
(क)	दिल्ली में वृद्धावस्था पेंशन योजना कब तक आरम्भ किये जाने की आशा है ;	दिल्ली में वृद्धावस्था पेंशन योजना सुचारु रूप से चल रही है, परन्तु इस योजना के अन्तर्गत पेंशन के लिये नये आवेदनों को स्वीकार करने हेतु रिक्तियों का उपलब्ध होना आवश्यक है ।
(ख)	क्या सरकार की अन्य वित्तीय योजनाओं की भाँति वृद्धावस्था पेंशन योजना को एक स्थायी योजना बनाया जा सकता है ;	यह एक स्थायी योजना ही है लेकिन इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों की अधिकतम संख्या की एक सीमा निर्धारित है जो कि वर्तमान में 5.30 लाख है ।
(ग)	क्या इसके लिये कोई समय सीमा या लक्ष्य निश्चित किया गया है ;	चूंकि यह पहले से ही एक स्थायी योजना है, अतः इसके लिये ,समय–सीमा या लक्ष्य निश्चित करने का कोई औचित्य नहीं है । यहाँ यह स्पष्ट कर देना उचित रहेगा कि समाज कल्याण विभाग द्वारा वर्तमान क्षमता सीमा (capping) के अन्तर्गत उपलब्ध रिक्तियों का सही आंकलन कर लेने के पश्चात् उन रिक्तियों को विधान सभा क्षेत्रवार वितरित करके नये आवेदन आमंत्रित किये जा सकेंगे ।
(घ)	यदि हाँ, तो उसका विवरण दें ; और	प्रश्न के (ग) भाग के लिये दिये गये उत्तर में वॉछित जानकारी निहित है ।
(ङ)	यदि नहीं, तो उसके कारण ?	प्रश्न के भाग (ग) और (घ) के लिये दिये गये उत्तर के अनुसार यह लागू नहीं होता ।

27/07/21

Deputy Director (FAS)
Department of Social Welfare
Govt. of NCT of Delhi

Scanned by CamScanner